FP/UP/athors/121963/202)

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

 \odot

C

(

17

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को रवीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुरपष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

CF <u>HEIIny</u> की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती हैं।

Conservator of Forest/Nodal Officer Forest Conservation Act. 1980 **U.P. Lucknow**

हस्ताक्षर:

नामः

दिनांक--.... रथान.....

548 D.\FOREST-1\Surendra\Survey Branch\Land Transfar (Proposal)\Land Transfar 2017-18.doc